

**बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग**

अधिसूचना

अधि०सं०-निग/सारा-02 (परिवाद)-28/2021 6117(3)

/पटना, दिनांक 24/8/2026

श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति अन्य मामले में निलंबित से सेंदुआरी-वासुदेवपुर-चापुटा-धोबघट्टी पथ एवं दिग्धीकला-यादव द्वार-अदलपुर पथ से संबंधित निविदा मूल्यांकन की प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता के संबंध में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2849(एस) दिनांक-24.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप निम्नवत् हैं:-

- (i) सेंदुआरी-वासुदेवपुर-चापुटा-धोबघट्टी पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2019-20 (0.00 से 3.5 कि०मी०) की निविदा के तकनीकी बीड में संवेदक श्री रंधीर कुमार के द्वारा पथ प्रमंडल संख्या-1, गया से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र संख्या-1510 दिनांक-15.03.2019 संलग्न किया गया, लेकिन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के रूप में श्री रविन्द्र कुमार द्वारा इसे निर्गत प्रमंडलीय कार्यालय से सत्यापित नहीं कराया गया और निविदा मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख को अनुशंसा के साथ अपने पत्रांक-2297(अनु०) दिनांक-16.12.2019 द्वारा अग्रसारित कर दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के पत्रांक-346 दिनांक-03.03.2022 के अनुसार पथ प्रमंडल संख्या-1, गया के कार्यालय द्वारा दिनांक-15.03.2019 को श्री रंधीर कुमार नाम के किसी व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
- (ii) दिग्धी कला यादव द्वार-अदलपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2019-20 (0.00 से 2.5 कि०मी०) के संबंध में संवेदक- श्री रिपुंजय कुमार राकेश के द्वारा पथ प्रमंडल, छपरा से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संख्या-925 दिनांक-28.05.2018 प्रश्नगत पथ की निविदा के तकनीकी बीड में संलग्न किया गया, लेकिन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के रूप में श्री रविन्द्र कुमार द्वारा इसे निर्गत प्रमंडलीय कार्यालय से सत्यापित नहीं कराया गया और निविदा मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख को अनुशंसा के साथ अपने पत्रांक-532(अनु०) दिनांक-27.02.2020 के द्वारा अग्रसारित कर दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-114 अनु० दिनांक-21.01.2020 के अनुसार पथ प्रमंडल, छपरा के कार्यालय के द्वारा प्रमंडलीय पत्रांक-925 दिनांक-28.05.2018 के द्वारा संवेदक श्री रिपुंजय कुमार राकेश के पक्ष में अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

3. उक्त के संबंध में श्री कुमार द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-19.12.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह तथ्य/तर्क दिया गया कि जाली प्रमाण पत्र के संबंध में संवेदक को दंडित किया जा चुका है तथा सरकार द्वारा उन्हें आरोपी नहीं माना गया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि विभाग में स्थापित प्रक्रियाओं के तहत संविदा से संबंधित मुख्य अभिलेखों के सत्यापन कराये जाने के उपरान्त निविदा निष्पादन की कार्रवाई की गयी है। अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कम महत्वपूर्ण है, जिसके सत्यापन कराये जाने की स्थिति में निविदा निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। तदालोक में अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रतीक्षा नहीं की गयी।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार का उक्त कथन एवं तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। संवेदक के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई की जाती है और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित किया जा चुका है, जबकि अभियंता के विरुद्ध अलग से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत कार्रवाई की जाती है एवं इस आलोक में ही आलोच्य मामले में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार का यह कहना कि कम महत्वपूर्ण अभिलेखों के सत्यापन के कारण निविदा निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है, स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि नियमानुसार समुचित सत्यापन के उपरान्त ही कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि निविदा निष्पादन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। साथ ही श्री कुमार की स्वीकारोक्ति यह भी स्थापित करता है कि अनुभव प्रमाण पत्र को बिना सत्यापित कराये ही उनके द्वारा निविदा अभिलेख समर्पित किया गया, जो आरोप को स्वमेव प्रमाणित करता है। इस मामले में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/क्षति नहीं हुई है, परन्तु संवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र को बिना सत्यापित कराये निविदा मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख को अग्रसारित किये जाने संबंधी आरोप प्रमाणित है।

5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति अन्य मामले में निलंबित के स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक-शून्य दिनांक-19.12.2023 को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है:-

“चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि चरित्र पुस्त में की जायेगी)”

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-02 (परिवाद)-28/2021

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-02 (परिवाद)-28/2021

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-02 (परिवाद)-28/2021

/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-13/14), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री रविन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय- अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा-02 (परिवाद)-28/2021 6118(3)

पटना, दिनांक 27/8/2026

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

Chunty
27.8.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Anil
27.08.26